आदेश कार्रवाई म टिप्पणी त	फारम सं0-563 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
5	अभिलेख उपस्थापित। पुष्पा देवी पति रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-हुड्हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड्हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-34, प्लॉट संख्या-1766, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि श्रीती भारती पति कुन्दन लाल, निवास स्थान ग्राम-हुड्हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21007275 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-65/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1249/रा0 दिनांक 30.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जॉँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1145 दिनांक 23.07.2022 के द्वारा जॉँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जॉँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि - क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित भूमि खरीदगी हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत खेदन दुसाध हैं। पंजी-II के पृष्ठ संख्या-78/I पर पुष्पा देवी के नाम से रकवा 92डी0 की जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2017-18 तक निर्गत् हैं। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.92 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.84 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में पुष्पा देवी पति रामेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-हुडहुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-34, प्लॉट संख्या-1766, रकवा 0.08 एकड़ (08 डिसमिल) (आठ डिसमिल) भूमि श्रीती भारती पति कुन्दन लाल, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुडु, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.30 14:19:12 +05:30
Location: 192.168.100.2